



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232051  
CG-DL-E-21122021-232051

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 714]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

सं. 74/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 873(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और थर्मल पावर अनुप्रयोगों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन सीलेंट को छोड़कर सिलिकॉन सीलेंट” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 32 और 35 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना फाइल संख्या 06/31/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितम्बर, 2021, जिसे दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- विषयगत वस्तु का निर्यात उत्पाद को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
- इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

### सारणी

क्र.सं.	अध्याय	विवरण*	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 और 35	सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और थर्मल पावर अनुप्रयोगों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन सीलेंट को छोड़कर सिलिकॉन सीलेंट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	अनहुई ज्वाइंट लीडर न्यू मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	396.99	प्रति मीट्रिक टन	अमेरि की डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शान्डोंग डोंगयू सिलिकॉन मेटेरियल कं., लिमिटेड	501.55	प्रति मीट्रिक टन	अमेरि की डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	738.73	प्रति मीट्रिक टन	अमेरि की डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	738.73	प्रति मीट्रिक टन	अमेरि की डॉलर

\*निम्नलिखित उत्पादों को इस उत्पाद-विवरण से बाहर रखा गया है:

(i) पॉलीयूरेथेन सीलेंट

(ii) पॉलीयूरेथेन फोम

(iii) पॉलीयूरेथेन फोम क्लीनर

- (iv) सोलर पॉटिंग सिलिकॉन
- (v) एक्रिलिक सीलेंट
- (vi) एक्रिलिक न्यूट्रल सीलेंट
- (vii) एक्रिलिक वेदर सीलेंट
- (viii) सिलिकॉनाइस्ड एक्रिलिक सीलेंट
- (ix) आरओएचइस ग्रेड सिलिकॉन सीलेंट
- (x) आरइएसीएच ग्रेड सिलिकॉन सीलेंट
- (xi) अग्नि प्रतिरोधी/मंदक सिलिकॉन सीलेंट
- (xii) कार और बसों के विंडशील्ड पेस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन सीलेंट
- (xiii) बस बॉडी पेस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन सीलेंट
- (xiv) विस्तार जोड़ों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन सीलेंट
- (xv) एमएस पॉलिमर आधारित सीलेंट
- (xvi) औद्योगिक आरटीवी सिलिकॉन सीलेंट
- (xvii) उच्च तापमान रोधी सिलिकॉन
- (xviii) दो-घटक वाले सिलिकॉन सीलेंट
- (xix) पेंट करने में काम आने वाले सीलेंट
- (xx) नॉन-ब्लीडिंग वेदर सिलिकॉन
- (xxi) इंसुलेटिंग ग्लास सिलिकॉन
- (xxii) नेल फ्री एडहेसिव या मिरर फिक्स एडहेसिव

बशर्ते कि, नीचे उल्लिखित उत्पादों से संबंधित उत्पादों का निष्कासन केवल वास्तविक उपयोगकर्ता तक ही सीमित रहेगा। आयात के समय वास्तविक उपयोगकर्ता को सीमाशुल्क के समक्ष इस बात की घोषणा करनी होगी कि वह इसका उपयोग समुच्च में ही करेगा। वास्तविक उपयोगकर्ता अपने सत्यापन किए जाने वाले 'उपभोग-पंजीक' में इसको हर माह दर्ज करेगा जिससे कि मांग किए जाने पर किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा सके।

- (i) कार और बसों के विंडशील्ड पेस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन सीलेंट
- (ii) बस बॉडी पेस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन सीलेंट
- (iii) विस्तार जोड़ों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सिलिकॉन सीलेंट

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/270/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2021

**No. 74/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 873(E).**—Whereas, in the matter of “Silicone Sealants excluding silicon sealants used in manufacturing of solar photovoltaic modules, and thermal power applications” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 32 and 35 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 06/31/2020-DGTR, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24<sup>th</sup> September, 2021, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

**TABLE**

S. No.	Chapter	Description*	Country of Origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	32 and 35	Silicone Sealants excluding silicon sealants used in manufacturing of solar photovoltaic modules, and thermal power applications	China PR	Any country including China PR	Anhui Join Leader New Materials Technology Co., Ltd.	396.99	Per MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Silicone Material Co., Ltd.	501.55	Per MT	USD

3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial no 1 to 2	738.73	Per MT	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	738.73	Per MT	USD

*\*The following products are excluded from the product description:*

- (i) *Polyurethane Sealant*
- (ii) *Polyurethane Foam*
- (iii) *Polyurethane Foam Cleaner*
- (iv) *Solar Potting Silicone*
- (v) *Acrylic Sealant*
- (vi) *Acrylic Neutral Sealant*
- (vii) *Acrylic Weather Sealant*
- (viii) *Siliconised Acrylic Sealant*
- (ix) *RoHS grade Silicone Sealant*
- (x) *REACH grade Silicone Sealant*
- (xi) *Fire resistant/retardant Silicone Sealant*
- (xii) *Silicone Sealant used for car and bus windshield pasting*
- (xiii) *Silicone Sealant used for bus body pasting*
- (xiv) *Silicone Sealant used for building expansion joints*
- (xv) *MS Polymer based Sealant*
- (xvi) *Industrial RTV Silicone Sealant*
- (xvii) *High-temperature Neutral Silicone*
- (xviii) *Two-component Silicone Sealant*
- (xix) *Paintable Sealants*
- (xx) *Non-bleeding Weather Silicone*
- (xxi) *Insulating Glass Silicone*
- (xxii) *Nail free adhesive or Mirror fix adhesive*

*Provided the product exclusion with regard to below mentioned products will be strictly limited to actual users only. The actual users shall provide declarations to customs at the time of import regarding bonafide usage in this regard. Actual users would also maintain the monthly record in the form of verifiable consumption register for presentation before any law enforcing agency on demand*

- (i) *Silicone Sealant used for car and bus windshield pasting*
- (ii) *Silicone Sealant used for bus body pasting*
- (iii) *Silicone Sealant used for building expansion joints*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

*Explanation.*— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/270/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.